अध्याय–11

तेन्दू पत्ता व्यापार वार्षिक कार्य

11.1 राजस्थान राज्य के वन उत्पादों में तेन्दू पत्ता लघु वन उपज, आय प्राप्ति का मुख्य स्त्रोत है। तेन्दू के वृक्षों से प्राप्त पत्तों से बीडी बनाने का कार्य किया जाता है। तेन्दू के वृक्ष ज्यादातर झालावाड, बारां, चितौडगढ़, बांसवाडा, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिलों के वन क्षेत्रों में पाये जाते है, किन्तु अल्प संख्या में ये वृक्ष सिरोही, भीलवाडा, पाली एवं धौलपुर जिलों के वन क्षेत्रों में भी पाये जाते है।

11.2 तेन्दू पत्ता का राष्ट्रीयकरण के तहत राजस्थान राज्य में वर्ष 1974 में राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 पारित कर किया गया। राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य विभिन्न संग्रहण एजेन्सियों को समाप्त कर व्यापार पर राज्य सरकार का नियंत्रण स्थापित करना, श्रमिकों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति दिलवाना, तेन्दू वृक्षों में वैज्ञानिक रूप से कर्षण कार्य व अन्य सुधार कार्य करवाये जाकर पत्ते की किस्म में सुधार लाना एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि करना था।

11.3 राष्ट्रीयकरण के पश्चात राज्य सरकार ही तेन्दू पत्ता का व्यापार करने हेतु अधिकृत है। तेन्दू पत्ता संग्रहण करने वाले श्रमिकों को शोषण से मुक्ति हेतु अधिनियम की धारा–6 के अंतर्गत विभिन्न संभागों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक संभाग हेतु पृथक–पृथक सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है। जिसमें संबंधित राज्याधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों एवं तेन्दू पत्ता व्यापारियों को भी मनोनीत किया जाता है। उक्त सलाहकार समितियां प्रतिवर्ष राज्य में तेन्दू पत्ता संग्रहण कर्ता श्रमिकों को चुकायी जाने वाली संग्रहण दरों को निर्धारित किये जाने की सिफारिश करती है। संग्रहण दरों में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। संग्रहण दरों का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी की दरों के आधार पर करने का प्रयास किया जाता है। विगत वर्ष 2021 के लिए रू. 1050/–प्रति मानक बोरा एवं वर्ष 2022 के लिए रू. 1100/– प्रति मानक

बोरा निर्धारित की गई थी। वर्ष 2023 के लिए 1200/– प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई थी। इसी प्रकार वर्ष 2024 के लिए 1320/– प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है।

11.4 तेन्दू पत्ता व्यापार हेतु अधिनियम की धारा–3 के अंतर्गत प्रति वर्ष सम्पूर्ण राज्य के तेन्दू पत्ता इकाईयों का गठन किया जाकर राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन उपरान्त उनका बेचान निविदायें आमंत्रित कर तथा खुली नीलामी द्वारा किया जाता है। विक्रय से अवशेष रही इकाईयों को राज्य सरकार की स्वीकृति से पड़त रखा जाता है।

11.5 गत तीन वर्षों में तेन्दू पत्ता के विक्रय एवं आय की स्थिति निम्न सारणी में अंकित हैः–

क्र. स.	निष्पादन का तरीका	वर्ष	कुल इकाइयों की संख्या	व्ययन हुई इकाइयों की संख्या	पडत रही इकाइयों की संख्या	विक्रय से प्राप्त होने वाली आय (लाखों रू0 में)
1.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	2021–22	166	166	0	4032.87
2.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	2022–23	166	162	1	4630.04
3.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	2023–24	163	151	7	2120.56

नोट :–वर्ष 2023–24 में 5 तेन्दू पत्ता इकाईयॉ रिजर्व क्षेत्र में शामिल हो गयी है।

11.6 वर्ष 2023–24 के लिए राज्य की तेन्दू पत्ता कुल 163 इकाईयों में से 151 इकाईयों का व्ययन हुआ, जिनके बेचान से मार्च 2024 तक लगभग राशि 2120.56 लाख रू0 की आय प्राप्त हुई। विक्रय से अवशेष रही 7 इकाईयों को पडत रखा गया है, जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त कर ली गई है। उप वन संरक्षक,

बून्दी की 3 इकाईयों को रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है एवं उप वन संरक्षक, बारां की 2 इकाईयों को शाहाबाद तलहटी संरक्षण रिजर्व क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। वर्ष 2023–24 हेतु सलाहकार समितियों की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राशि रू. 1200/– प्रति मानक बोरा संग्रहण दर निर्धारित की गई है। वर्ष 2023–24 में कुल 2.71 लाख मानक बोरे संग्रहित हुये। जिस हेतु लगभग 3252.00 लाख रू. श्रमिकों को सीधे ही क्रेताओं द्वारा पारिश्रमिक चुकाया गया।

वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां निम्नानुसार रही है :–

(राशि रू0 लाख में)

क्र.स.	**विवरण**	**वास्तविक प्राप्तियां**	**वास्तविक प्राप्तियां**	**वास्तविक प्राप्तियां**	**वास्तविक प्राप्तियां (दिसम्बर 2024 तक)**
		2021–22	**2022–23**	**2023–24**	**2024–25**
1.	तेन्दू पत्तों के विक्रय से प्राप्त आय	4004.83	4656.36	2120.56	1848.87
2.	अन्य विविध आय	22.04	28.39	10.12	20.10
	योग	**4026.87**	**4684.75**	**2130.68**	**1868.97**

11.7 वर्ष 2024–25 के लिए राज्य में कुल 158 तेन्दू पत्ता इकाईयों का गठन किया। वर्ष 2024–25 के लिए राज्य की तेन्दू पत्ता कुल 158 इकाईयों में से 148 इकाईयों का व्ययन हुआ। शेष 9 तेन्दू पत्ता इकाईयों का बेचान नहीं हो सका। इस हेतु राज्य सरकार से 9 तेन्दू पत्ता इकाईयों को पडत रखने की स्वीकृत प्राप्त

कर ली गई है तथा उप वन संरक्षक, धौलपुर की 1 इकाई को उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभ्यारण्य क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है।

वर्ष 2024 में व्ययन हुई तेन्दू पत्ता इकाईयों से राशि रू. 2134.49 लाख रू0 की आय प्राप्त होने की संभावना है। माह दिसम्बर 2024 तक लगभग राशि रू. 1868.97 लाख प्राप्त हो चुकी है, शेष राशि माह मार्च 2025 प्राप्त होने की सम्भावना है।